

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय भोपाल

क्रमांक : एफ 9/3/2003/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2007

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर्स,
समस्त कलेक्टरस,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।

संदर्भ- विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2006.

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित परिपत्र दिनांक 25-9-2006 द्वारा जारी किये गये हैं । उक्त निर्देशों में यह उल्लेख है कि "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक के मूल वेतन + महंगाई भत्ते की 10% राशि मासिक अंशदान के रूप में जमा की जावेगी तथा अंशदान की गणना में कटोत्रा हेतु महंगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते / विशेष वेतन आदि को शामिल नहीं किया जावेगा ।"

2/ वित्त विभाग के आदेश एफ 4/2/2007/नियम/चार, दिनांक 14-4-2007 द्वारा दिनांक 1-4-2007 से वर्तमान मूल वेतन के 50% के बराबर महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किए जाने और पृथक से महंगाई वेतन के रूप में दर्शाए जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं । अतः संदर्भित आदेश दिनांक 25-9-2006 द्वारा जारी निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

3/ अतः दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1-4-2007 से शासकीय सेवक के मासिक अंशदान तथा शासन के समस्त अंशदान की गणना मूल वेतन + महंगाई वेतन + महंगाई भत्ता के आधार पर संदर्भित परिपत्र में निर्दिष्ट दर से की जाए । वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25-9-2006 की शेष शर्तें यथावत रहेगी ।

अजीत
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 9/3/2003/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2007

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

Ramp

(पी.सी.वर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग